

पत्रावली के माध्यम से नाम बदलने के लिए
न्यायिक कार्य के लिए, अधिकार रखने
से पत्रावली निर्माण को रोकें।
5/5/20

33- पत्रावली सेवा शुरू, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील
अपस्थित/ अनुपस्थित, वकील अप्रार्थी/गैर की क्रम
क्रम अपावने सिवाय और अन्य अपावनी उपस्थित
रही। अन्य विकल्प एक तब तक कार्यवाही किये जाने
के अतिरिक्त किये जाते हैं। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना 212
R.T.M. पर बहस करने की चाही। बहस शुरू की जायगी।
वकील प्रार्थी के बहस के दौरान बताया कि प्रार्थी
की अस्पर्ध- निषेधाज्ञा नहीं मिली तो उसे अस्पर्धीय
कहा जायेगा।

मैंने पत्रावली से उपलब्ध वस्तुओं से प्रार्थी
के अतिरिक्त की बहस पर मजबूत किया जाकर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 R.T.M के तहत
बहस बाद पत्र के निस्तारण तक अस्पर्धीय निषेधाज्ञा
एनरो की जाती है।
पत्रावली फ़ैसल शुरू करके बहस बाद पत्र के साथ
आत्मन देते।

उपरोक्त अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

